समाचार-प्रकाषनार्थ:-

मा0 मुख्यमंत्री श्री षवराज संह जी चौहान आज करेंगे व भन्न वकास कार्यो का लोकार्पण व भू म पूजन

रतलाम 03 फरवरी । प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शवराज संह जी चौहान आज 04 फरवरी गुरूवार को दोपहर 12ः30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना भवनए डोसीगांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत डोसीगांव एवं डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर के आवासो का लोकार्पण ए 101 ई.डब्ल्यू.एस. हितग्राहियों के गृह प्रवेश कराने के साथ ही वभन्न वकास कार्यो का लोकार्पण व भू म पूजन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप करेंगे व व शष्ट अति थ सांसद रतलाम माननीय श्री गुमान संह जी डामोर रहेंगे।
मुख्यमंत्री माननीय श्री शवराज संह जी चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 432 ईडब्ल्यूएसए 96 एलआईजी व 96 एमआईजी भवनए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना वकास योजना के अन्तर्गत पावर हाउस रोड व न्यू रोडए अमृत योजना के अन्तर्गत का लका माता एवं अमृत सागर उद्यान सौन्दर्यीकरण व दीनदयाल नगर पु लस थाना तथा पु लस लाईन के आवासो का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अमृत सागर तालाब का पर्यावरर्णीय सुधार वकास एवं सौन्दर्यीकरणए रतलाम ट्रांसपोर्ट नगरए रतलाम गोल्ड पार्कए सागोद रोड रेलवे ओवर ब्रीज चौड़ीकरणए रतलाम रिंग रोड (बंजली से मांगरोल फंटा) व स्वर्ण सागर आवासीय परियोजनाए बिबड़ौद का भू म पूजन करेंगे।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क वे उक्त आयोजित लोकार्पण व भू म पूजन कार्यक्रम में को वड-19 की गाईड लाईन पालन करते हुए उपस्थित रहे।

गंदगी करने पर 31 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 03 फरवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक

एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर सीतारामए रोहित पर 200.200ए शकीर मोहम्मदए संजय जैनए रितेशए मोहतकए ओमप्रकाशए सुनीलए वरूणए संजयए कशन व अन्य 2 पर 100.100ए कांजीभाईए बलवंतए फुलजीलालए जितेन्द्रए घनश्यामए दिनेशए वनोदए वजयए रामूए राजेशए प्रांचीए कालूए संटूए सुपरए वक्कीए वजयए चन्द्रप्रकाश पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संब धतों के वरूद्व जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

627 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 03 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोंए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 03 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 627 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 03 फरवरी को शवशंकर कालोनीए डीमार्टए महावीर नगरए महू रोड ब्रीज से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

प्रयदर्शनी नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 16ए62ए000६. संपत्तिकर व 3ए52ए345६. जलकर जमा कराया

रतलाम 03 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संब धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६. व जलकर 6ए000६.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६. व जलकर 55ए775६.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विंिर में संपत्तिकर 2ए38ए000६. व जलकर 49ए010६.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६. व जलकर 43ए670६.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६. व जलकर 29ए280६.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६. व जलकर 19ए850६.ए

कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध्. व जलकर 48ए220ध्.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध्. व जलकर 14ए000ध्.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध्. व जलकर 86ए540ध्. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंेें 16ए62ए000ध्. संपत्तिकर व 3ए52ए345ध्. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 4 फरवरी को प्रयदर्षनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लये 09 फरवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 03 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम वकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 03 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 03 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 03 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व

अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/03ण्02ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.